कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) रतलाम म.प्र.
E-mail –deoratlamle@gmail.com
Phone no. – 07412-270421

क्रं. 265 /स्था.नि. /2020 रतलाम, दिनांक २3.10.2020

" निविदा सूचना "

नगरीय निकाय/ त्री-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2020-21 के लिये निर्वाचन कार्य में उपयोग की जाने वाली रबर की सीलें (मोहरे) तैयार करवाई जाने हेतु इच्छुक निर्माताओं/प्रदायकर्ताओं से निविदाए निम्न शर्तो पर आमंत्रित की जाती हैं :-

निविदा की शर्तें :-

1. निविदाकर्ता को म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रबर सील बनाकर प्रदाय करना होगी, सील की साईज 5X3 एक लाईन, से दस लाईन तक की पृथक-पृथक दर संलग्न पत्रक के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी । जो कि समस्त करों सहित दर्शित करना अनिवार्य होगा, साथ ही भुगतान के समय शासन द्वारा निर्धारित समस्त प्रकार के करों आयकर, जी.एस.टी तथा अन्य कर यथा समय प्रचलित दर से कटोती की जावेगी ।
2. प्रदाय आदेश जारी होने के सात दिवस के अन्दर सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा ।
3. सीमीत मात्रा में अनिवार्य आवश्यकता होंने पर आदेशानुसार सीले तत्काल तैयार कर प्रदाय करना होगी ।
4. प्रदायकर्ता को पेनकार्ड एवं जी.एस.टी. रजिस्ट्रेंशन की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
5. प्रदायकर्ता साफ स्वच्छ छबि का होना अनिवार्य होगा यदि पुलिस में पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज हुआ हो या प्रचलित हो तो ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा न्यूनतम दर प्रस्तुत किये जाने के बाद भी निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी ।
6. निविदा के साथ धरोहर राशि के लिये 2000/- (अक्षरी दो हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । प्रस्तुत न करने पर निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी ।
7. उक्त निविदा दिनांक 05.11.2020 तक कार्यालयीन समय में एवं अंतिम दिनांक 05.11.2020 को दोपहर 2.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी । निविदाए उपस्थित निविदाकर्ता के समक्ष दिनांक 05.11.2020 को सायं 5.00 बजें स्थानीय निर्वाचन कार्यालय रतलाम में खोली जावेगी ।
8. किसी भी प्रकार के विवाद में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रतलाम का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा, तथा निविदा के गुण दोष बताये बगैर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार भी अधेहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा ।
9. स्वीकृत दरें वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिये मान्य होगी । कार्य की गुणवत्ता एवं आवश्यकता अनुसार कार्यादेश में वर्ष 2021-2022 तक के लिये वृद्धि की जा सकेगी ।
10. निविदा खोले जाने के पश्चात भ्रम की स्थिति पाई जांती है, तो नेगोसिएशन के लिये सभी फर्मों को कार्यालय द्वारा बुलाये जाने पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा ।

23/x

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन) रतलाम म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) रतलाम म.प्र.
E-mail –deoratlamle@gmail.com
Phone no. – 07412-270421

पृ. क्रं. 266 /स्था.नि. /2020
प्रतिलिपि :-

रतलाम, दिनांक 23.10.2020

1. सचिव म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल म.प्र. ।
2. आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन ।
3. समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन म.प्र. की ओर कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन हेतु ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रतलाम को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन हेतु ।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जिला रतलाम की ओर निविदा जिले की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
6. अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर/ग्रामीण/सैलाना/जावरा/आलोट की ओर कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन हेतु । ।
7. सहायक सूचना अधिकारी जनसम्पर्क जिला रतलाम की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निविदा जारी होने की निःशुल्क सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने हेतु ।

23/10

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन) रतलाम म.प्र.

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती . हर निकाय महत्वपूर्ण

पंचायत आम निर्वाचन हेतु सुभेदक सीलों के नमूने

स.क्रं.	सील का प्रकार	सील नमूना	प्रति नग दर
1	जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)......................	जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जिला रतलाम म.प्र.	
2	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत).....................	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत).....................जिला रतलाम	
3	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत).....................	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत).....................जिला रतलाम	
4	रिटर्निग ऑफिसर (पंचायत).....................	रिटर्निग ऑफिसर (पंचायत)....................जिला रतलाम	
5	सहायक रिटर्निग ऑफिसर (पंचायत).....................	सहायक रिटर्निग ऑफिसर (पंचायत)....................जिला रतलाम	
6	मतदाता सूची की चिन्हित प्रति	मतदाता सूची की चिन्हित प्रति वार्ड क्रं..............भाग क्रं.	
7	सुभेदक मुहर पंच/सरपंच	खण्ड .... | वार्ड क्रं. मतदान केन्द्र क्रं. ..... ग्राम पवंचायत	
8	सुभेदक मोहर ज.पं./ जिला पंचायत	खण्ड .... | नि.क्षे.क्रं. .... मतदान केन्द्र क्रं. .... | ज.पं. .... जि.पं.	
9	पीठासीन अधिकारी की मुहर	पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र क्रंमांक .... खण्ड	
10	प्राधिकृत अधिकारी की मुहर	प्राधिकृत अधिकारी .... मतदान केन्द्र क्रं. .... खण्ड	
11	खारिज मत पत्र की मुहर	प्रतिक्षेपित (खारिज) आधार .... नियम 76 (1)	

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

(स्थानीय निर्वाचन) रतलाम म.प्र.

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती . हर निकाय महत्वपूर्ण

नगर पालिका आम निर्वाचन (ई.व्ही.एम.) हेतु सुभेदक सीलों के नमूने

स.क्रं.	सील का प्रकार	सील नमूना	प्रति नग दर
1	जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका)......................	जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर परिषद)...............जिला रतलाम म.प्र.	
2	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर पालिका)......................	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर परिषद)...............जिला रतलाम म.प्र.	
3	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर पालिका)......................	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर परिषद)...............जिला रतलाम म.प्र.	
4	रिटर्निग ऑफिसर (नगर पालिका)......................	रिटर्निग ऑफिसर (नगर परिषद)...............जिला रतलाम म.प्र.	
5	सहायक रिटर्निग ऑफिसर (नगर पालिका)............	सहायक रिटर्निग ऑफिसर (नगर परिषद)..............जिला रतलाम म.प्र.	
6	मतदाता सूची की चिन्हित प्रति	नगर पालिका परिषद .... मतदाता सूची की चिन्हित प्रति वार्ड क्रं.............. मतदान केन्द्र क्रं.	
7	सुभेदक मुहर पंच/सरपंच	वार्ड क्र. - - - - - मतदान केन्द्र क्रं. - - -	
8	खारिज मत पत्र की सील	प्रतिक्षेपित (खारिज)- कारण नियम 66 (4) क. प्ररूप 19-ग में घोषणा अप्राप्त ख. घोषणा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या अभिप्रमाणित नहीं ग. घोषणा अन्यथा सारत: त्रुटिपूर्ण घ. घोषणा में अंकित मतपत्र क्रं. प्ररूप 19 क पर पृष्ठाकिंत मतपत्र क्रं. से भिन्न रिटर्निग ऑफिसर (न.पा.)	
8	खारिज मत पत्र की सील	प्रतिक्षेपित (खारिज)- कारण नियम 66 (8) क. मतपत्र पर मतदाता की पहचान वाला चिन्ह ख. मतपत्र पर मत अभिलिखित नही ग. एक से अधिक अभ्यर्थि के लिये मतांकन घ. मत पत्र बनावटी है ड. मत पत्र क्षतिग्रस्त/विकृत च. मत पत्र निर्धारित लिफाफा 19 -क में बन्द नहीं छ. मतांकन स्पष्ट रूप किसी अभ्यर्थी के पक्ष में नही रिटर्निग ऑफिसर (न.पा.)	

कलेक्टर 23/4

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

(स्थानीय निर्वाचन) रतलाम म.प्र.